छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010
(फाल्गुन-19, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 19 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 07, 09, 10 एवं 13 से 15 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01, 11 एवं 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री संतोष बाफना एवं श्री नंदकुमार पटेल अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर में विभाग द्वारा संशोधन आज ही प्रस्तुत किए जाने फलस्वरूप सदस्यों को इसकी जानकारी उपलब्ध न हो सकने के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे आगामी कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया।

प्रश्नोत्तर सूची में 16 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. व्यवस्था

प्रश्न में संशोधन एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रश्न में संशोधन दिया गया है। संशोधन एक दिन पूर्व दिया जाना चहिए। वह संशोधन अभी प्रश्नकला प्रारंभ होने के बाद दिया गया है। यह उचित नहीं है। इसकी कॉपियों का वितरण सम्मानीय सदस्यों को किया जाता है, प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को किया जाता है। अभी वे पढ़ने की स्थिति में भी नहीं हैं और संभव नहीं है कि वे प्रश्न करें। इसलिए इस प्रश्न को तो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सभी विभाग के अधिकारी इस बात को ध्यान रखें और माननीय मंत्री भी कृपया ध्यान रखें कि जब भी संशोधन हो तो एक दिन पूर्व आपका संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाता है।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जगदलपुर द्वारा रतनजोत पौधारोपण में अनियमितता किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर-निगम, भिलाई द्वारा मकानों एवं दुकानों को तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने बिलासपुर से सक्ती के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 की स्थिति अत्यंत जर्जर होने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमशः

तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 2010 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शुक्रवार दिनांक 12 मार्च, 2010 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2010 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2010 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा ।

   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

   उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **सूचना कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिजियक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पुरःस्थापित किया ।

7. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लखमा कवासी, फूलचंद सिंह, महंत रामसुंदर दास, वीरेन्द्र कुमार साहू, रामदयाल उइके, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्रीमती अंबिका मरकाम, दयालदास बघेल, परेश बागबाहरा, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, ह्दयराम राठिया, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, रामदेव राम, सेवकराम नेताम, सौरभ सिंह, भीमा मण्डावी , जगेश्वर राम भगत।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 (2) की अनुदान मांगें प्रस्तुत होने एवं प्रथम दो वक्ताओं का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-15 पर श्री महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-33 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-41 पर** श्री महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-42 पर** श्री महंत रामसुंदर दास एवं श्री हृदयराम राठिया **मांग संख्या-49 पर** श्री रविन्द्र चौबे, **मांग संख्या-53 पर** श्री महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-64 पर** श्री महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-66 पर** श्री महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-68 पर** महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-82 पर** श्री महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-83 पर** श्री महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-20 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, हृदयराम राठिया, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री बोधराम कंवर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.सुभाऊ कश्यप (जारी...)

सायं 6.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 2010 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा